दिनांक 15.06.2015 (तृतीय सोमवार) को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति एवं खाद्यान्न उठाव से संबंधित विडियो कॉनफ्रेंसिंग की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. **प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।**
2. **सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।**
3. **प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम।**
4. **निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना।**
5. **संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।**
6. **संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना।**

सर्वप्रथम धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव महोदय ने सभी जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया कि किसानों के द्वारा उपजाया गया धान जो 31 मार्च तक लिया गया है एवं भौतिक सत्यापन में जो पाया गया है उस धान का मूल्य किसानों को हस्तगत कराना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।

मुख्य सचिव ने सभी जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया कि 30 जून 2015 तक सी0एम0आर अधिप्राप्ति कार्य को अन्तिम रूप से सम्पन्न कर लेना है। उन्होंने बताया कि सी0एम0आर0 अवधि विस्तार हेतु भारत सरकार को पुनः अनुरोध किया गया है, परन्तु अवधि विस्तार की संभावना क्षीण है। अतएव 30.06.2015 तक की अवधि ही अंतिम मानकर सी0एम0आर0 प्राप्ति पूर्ण कर ली जाय। पैक्सों में अधिप्राप्त धान के विरूद्ध समानुपातिक सी0एम0आर0 निगम के सी0एम0आर0 केन्द्र पर प्राप्त करना सभी जिला पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय जांच दल द्वारा जिन जिलों में प्रतिवेदित करने में गड़बड़ी पाई गई है वहाँ जिम्मेवार संबंधित कर्मियों पर प्राथमिकी/कार्रवाई जिला पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में निर्देश भी निर्गत किया गया है।

2. मुख्य सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम एवं सहकारिता विभाग को जिला प्रबंधकों एवं सहकारिता बैंको को अविलम्ब राशि उपलब्ध कराने का निदेश दिया एवं सहकारिता विभाग शीघ्र C.C.Limit जारी करे, ताकि किसानों को भुगतान में परेशानी न हो। मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग एवं राज्य खाद्य निगम को निदेश दिया कि C.C. Limit एवं SFC द्वारा राशि भुगतान कराने का प्रतिवेदन जिलावार निश्चित रूप से मुख्य सचिव कार्यालय एवं विभाग को प्रतिदिन उपलब्ध करावें। मुंगेर जिला के समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव महोदय ने स्पष्ट किया कि सभी जिला सिर्फ अपने ही जिला के किसानों का धान क्रय करेंगे। समीक्षा के क्रम में गया जिला में भंडारण की क्षमता के संबंध में मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि जिन जिलों में भारतीय खाद्य निगम की गोदाम खाली उपलब्ध है उसे नियमानुकूल निर्धारित दर पर लिया जा सकता है। राज्य स्तर से भी भारतीय खाद्य निगम को गोदाम उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई करने का निदेश प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना को दिया गया।

3. समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी सुपौल ने बताया कि जिला प्रबंधक एस0एफ0सी0 द्वारा पैक्स के सी0एम0आर0 को नहीं लिया जा रहा है, मात्र निगम के सी0एम0आर0 को लिया जा रहा है। मुख्य सचिव ने निदेशित किया कि जिला पदाधिकारी अपने स्तर से पैक्स/निगम के सी0एम0आर0 का Proportion तय कर प्राप्ति सुनिश्चित करें, परन्तु हर हालत में 30.06.2015 तक सम्पूर्ण सी0एम0आर0 प्राप्त हो जाना चाहिए। किशनगंज जिला के समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव ने पुनः स्पष्ट किया कि बिना जी0पी0एस0 लगे वाहनों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

4. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ने निदेशित किया कि गत बाढ़ में आवंटन के विरूद्ध किए गए वास्तविक उठाव से संबंधित प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जाना है। मात्र नालन्दा जिले से ही प्रतिवेदन प्राप्त है। शेष संबंधित जिले शीघ्र उठाव संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध करा दें।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक –प्र04 / वि0अधि0–07 / 2011 4943 खाद्य / पटना / दिनांक 26·06·15

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सोन भवन, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना / महाप्रबंधक (क्षेत्रीय), भारतीय खाद्य निगम, पटना / माननीय मंत्री के आप्त सचिव एवं सचिव कोषाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/2015
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।